सी0पी0एम0टी0 वर्ष 2011–12 में प्रवेशित राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अतर्रा–बॉदा, रामपुर मु0नगर, पीलीभीत, हण्डिया, झॉसी, के छात्रों के समायोजन की रूपरेखा।

- रिट याचिका सं0–26157/2013 में आदेश दिनांक 8.5.2014 के अनुपालन में प्रदेश के 05 आयुर्वेदिक कालेजों क्रमशः अतर्रा–बॉदा रामपुर मु0नगर, पीलीभीत, हण्डिया, झॉसी, में वर्ष 2011–12 में सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से प्रवेशित 153 छात्रों की काउसिंलिग दिनांक 15.5.14 को प्रातः 09:00 बजे से के0जी0एम0यू0, लखनऊ में सम्पन्न होगी।

- समायोजन की यह प्रक्रिया मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–31178/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.3.14 व रिट याचिका सं0– 26157/2013 दिनांक 8.5.14 के अनुपालन में की जा रही है।

- इस समायोजन प्रक्रिया का लाभ सी0पी0एम0टी0 2011 द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अतर्रा–बॉदा रामपुर मु0नगर, पीलीभीत, हण्डिया, झॉसी में प्रथम व्यवसायिक में पूर्व प्रवेशित 153 छात्रों को ही प्राप्त होगा।

- काउन्सिलिंग की प्रक्रिया महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा उ0 प्र0 द्वारा की जायेगी, जहॉ वर्ष 2011 में सी0पी0एम0टी0 के माध्यम से पूर्व प्रवेशित 153 छात्रों को वर्ष 2013–14 में सी0सी0आई0एम0 द्वारा मान्यता प्राप्त 04 आयुर्वेदिक महाविद्यालयों क्रमशः लखनऊ (50), बरेली (40) हण्डिया (30) अतर्रा (40) में उपलब्ध 160 सीटों के सापेक्ष उनकी सी0पी0एम0टी0 2011 की मेरिट के आधार पर समायोजन का विकल्प उपलब्ध होगा।

- समायोजन का यह अवसर एक बार ही उपलब्ध होगा, उपस्थित न होने की दशा में यह मानते हुये आपको प्रवेश नहीं लेना है, 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल जमा प्रवेश शुल्क की वापसी की जायेगी।

- काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के इच्छुक 153 छात्रों को मुख्य रूप से निम्न अभिलेखों के साथ उपस्थित होना हैः–
    1. प्रवेश के साक्ष्य,
    2. प्रवेश शुल्क की रसीद,

3. सी0पी0एम0टी0 रैंक 2011–12 सम्बन्धी प्रमाण पत्र,
4. जुलाई, 2014 में परीक्षा हेतु सहमति/विकल्प पत्र तथा
5. अर्ह आरक्षण हेतु मूल अभिलेख

- इस समायोजन की प्रक्रिया द्वारा छात्रों को प्रदेश के चार मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में समायोजित करते हुये इनकी प्रथम व्यवसायिक की परीक्षायें जुलाई 2014 के अन्तिम सप्ताह में वर्ष 2013–14 के सी0सी0आई0एम0 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कराई जायेगी।

- समस्त 153 छात्रों से अनुरोध है कि अपने–अपने प्रधानाचार्यों से तत्काल सम्पर्क करें तथा समस्त अभिलेखों समेत दिनांक 15.05.2014 को के0जी0एम0यू0, लखनऊ में काउंसिलिंग हेतु उपस्थित रहें। काउंसिलिंग के पूर्व उपस्थित सभी छात्रों को इस समायोजन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध करायी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में संशयों के निराकरण का अवसर भी प्रदान किया जायेगा। जिससे कि प्रत्येक छात्र सम्पूर्ण जानकारी के परिप्रेक्ष्य में अपनी सहमति या विकल्प प्रस्तुत कर सकें।

- **काउन्सिलिंग के पूर्व समस्त इच्छुक छात्रों को विशेष सत्र के माध्यम से निम्नवत जानकारी दी जायेगी :–**

➢ यह कि सी0सी0आई0एम0 द्वारा वर्ष 2013–14 के संशोधित पाठ्यक्रम में प्रथम व्यवसायिक की अवधि 18 माह के स्थान पर 12 माह होगी।

➢ यह कि पुराने पाठ्यक्रम में समावेशित प्रथम व्यवसायिक के अन्य विषयों के साथ–साथ इस पाठ्यक्रम में मौलिक सिद्धान्त विषय भी समावेशित होगा।

➢ नये पाठ्यक्रम में 10 पेपर के स्थान पर 8 पेपर्स होगें।

➢ नये पाठ्यक्रम में पुराने पाठ्यक्रम के सापेक्ष 340 घण्टे कुल अध्यापन अवधि अधिक रहेगी, अतएव समस्त छात्रों को 340 अध्यापन घण्टे का अतिरिक्त अध्यापन आवश्यक होगा।

➢ इन अतिरिक्त 340 अध्यापन घण्टों हेतु पूरक कक्षायें दिनांक 16.5.14 से सम्बन्धित महाविद्यालयों में आयोजित की जायेगीं, व छात्रों को परीक्षा मे बैठने से पूर्व इन कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।

➢ इन 340 अध्यापन घण्टों (लगभग 60 दिवस) के उपरान्त छात्र सी0सी0आई0एम0 के संशोधित पाठ्यक्रम वर्ष 2013–14 के अनुरूप उनकी पूर्ण कक्षा उपस्थिति के आधार

पर प्रथम व्यवसायिक की परीक्षा जो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जायेगी में बैठने हेतु पात्र होगें।

- जिन छात्रों को काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा, उन्हें 340 घण्टों की अनुपूरक व्याख्यान के बाद ही वास्तविक उपस्थिति के आधार पर परीक्षा हेतु अनुमति दी जायेगी।
- जो छात्र काउंसिलिंग में उपस्थित नहीं होंगे अथवा काउंसिलिंग में सहमति/विकल्प प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के कम में 09 प्रतिशत ब्याज सहित शुल्क वापसी दी जायेगी।
- समस्त सम्बन्धित आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रधानाचार्यो को यह निर्देश दिये गये है कि अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों को इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करा दे तथा इच्छुक छात्रों को दिनांक 15 मई, 2014 के काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करें।

(प्रो0 आर0 आर0 चौधरी)
निदेशक, आयुर्वेद